

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-: अधिसूचना :-

पटना, दिनांक-

श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा दिनांक-23.12.2023 को सिवान अंचल में बिना पूर्वानुमति के वाहन निरीक्षण कार्य करने एवं निरीक्षण के उपरांत वाहन संख्या-BR01GF-5411 पर लदे माल के विरुद्ध परिवहन के समय वांछित कागजात नहीं होने के बावजूद बिना किसी कार्रवाई के वाहन को छोड़ देने के उनके कृत्य को बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-68, धारा-129 एवं नियम-138(बी) का उल्लंघन तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के प्रतिकूल पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-391 दिनांक-28.12.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग-IV के नियम-9(i)(क) के तहत निलंबित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए श्री नाथ के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। इसके निमित्त विभागीय पत्रांक-68/सी दिनांक-13.03.2024 द्वारा आरोप पत्र निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-17(4) के तहत 15 दिनों के अन्दर बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त के आलोक में श्री अरुण नाथ द्वारा अपने पत्र दिनांक-05.04.2024 के माध्यम से बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री नाथ से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा उनके विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में की गयी। समीक्षोपरांत श्री नाथ का बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके विरुद्ध गठित आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-231/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के तहत श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य कर विशेष आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही श्री नाथ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(6)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-233/सी दिनांक-26.07.2024 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में श्री अरुण नाथ के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इससे सहमत होते हुए श्री नाथ को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को उनके विरुद्ध गठित आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या-21/सी दिनांक-10.01.2025 द्वारा समाप्त किया गया।

उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री नाथ के निलंबन अवधि (दिनांक-28.12.2023 से 25.07.2024 तक) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-



श्री अरुण नाथ, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त, सिवान अंचल, सिवान सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर का उक्त निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी एवं निलंबन अवधि में पूर्ण वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे जिसमें पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- कौन/भी-144/2023

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(ले0 एवं हक0) का कार्यालय, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

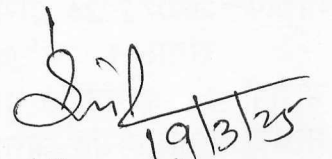
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- कौन/भी-144/2023

पटना,दिनांक-19.3.25

प्रतिलिपि:-माननीय उपमुख्य(वाणिज्य-कर)मंत्री, के प्रधान आप्त सचिव/ राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में (आई0टी0 मैनेजर के माध्यम से)/विशेष कार्य पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना शाखा/राज्य कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/ राज्य-कर अपर आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना शाखा/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं श्री अरुण नाथ, राज्य कर सहायक आयुक्त(अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव।